मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः08.03.2026

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 10,000/- का इनामियाँ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान इनामियाँ, जिलाबदर, वारण्टी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-02/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में फरार/वांछित अभियुक्त-बनाफल पुत्र स्व0झगडू निवासी बनइमिलिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर की गिरफ्तारी हेतु ₹ 10,000/- इनाम घोषित किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः08.03.2026 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत छातो मोड़ के पास से ₹ 10,000/- के इनामियाँ गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य 03 मुकदमों में वांछित/फरार चल रहें अभियुक्त बनाफल पुत्र स्व0झगडू निवासी ग्राम बनइमिलिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। थाना अहरौरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार इनामियाँ अभियुक्त —

बनाफल पुत्र स्व0झगडू निवासी ग्राम बनइमिलिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास —

1. मु0अ0सं0-99/2025 धारा 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अहरौरा मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-182/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौरा मीरजापुर।
3. मु0अ0सं0-152/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौरा मीरजापुर।
4. मु0अ0सं0-02/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अहरौरा मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

छोतो मोड़ के पास से, आज दिनांकः08.03.2026 को समय 08:10 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक मुनिराम यादव व रामदरश यादव, थाना अहरौरा, मीरजापुर।

आरक्षी संजय पटेल, थाना अहरौरा, मीरजापुर।

उत्तर प्रदेश पुलिस